कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमती रचना भाटिया व्याख्याता, जीव विज्ञान, राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरजपोल, उदयपुर का स्थानांतरण राउमावि, सागवाडापाल, उदयपुर किया गया । श्रीमती रचना भाटिया ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15865/2019 श्रीमती रचना भाटिया बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15865/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.19 द्वारा याचिकार्थिया श्रीमती रचना भाटिया को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारण के आदेश प्रदान किए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया रचना भाटिया द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के हृदय एवं लीवर रो से पीड़ित होने व सास ससुर के वृद्ध होने तथा स्थानान्तरण 120 किलोमीटर दूर होने के आधार पर राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरजपोल, उदयपुर में जीव विज्ञान का एक अतिरिक्त पद सृजित कर पदस्थापित करने या उदयपुर शहर के किसी विद्यालय की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थिया के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 17.10.2019 के दिशा निर्देशों/परिपत्रों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। जहां तक विमला सोनी के प्रकरण का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्रीमती सोनी को गृह जिले से बाहर अन्य जिले में पदस्थापित किया गया था और उनके द्वारा गृह जिले में कहीं पर भी पदस्थापित किए जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार कर गृह जिले में पदस्थापित कर अनुतोष प्रदान किया गया था। याचिकार्थिया पहले से ही अपने गृह जिले में ही पदस्थापित है इसलिए और समीपस्थ/ वांछित स्थान पर पदस्थापित किए जाने की उनकी मांग उचित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

याचिकार्थिया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थिया द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.10.2019 में विभाग को याचिकार्थिया द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के निस्तारण हेतु आदेश प्रदान थे। चूंकि श्रीमती रचना भाटिया का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारो पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया

जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि, आऊ, जोधपुर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 06.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/रचना भाटिया/को.के/18–19 **दिनांकः–01/10/2019**

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती रचना भाटिया के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरजपोल, उदयपुर/राउमावि, सागवाडापाल, उदयपुर।
9. कार्मिक रचना भाटिया व्याख्याता, जीव विज्ञान, रा. फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरजपोल, उदयपुर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर